(235)

न्यायालयश्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

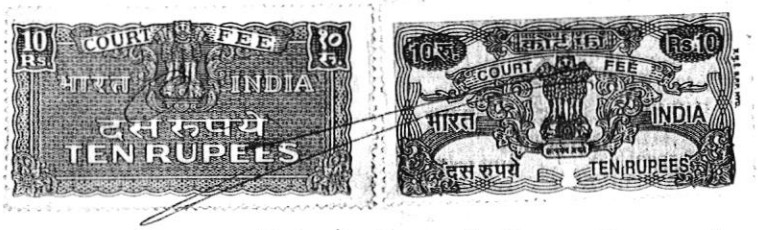

683
27-9-14

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Rs. 20/-

R-3494-III/14

शंकर दत्त तिवारी पिता श्री शिवसम्पति राम तिवारी,
निवासी मझुरिहा, तह. हनुमना, जिला-रीवा म.प्र. --- आवेदक

बनाम

ओंकेश्वर प्रसाद तिवारी तनय शिवसम्पति राम तिवारी, नि.
मझुरिहा, तह. हनुमना, जिला-रीवा म.प्र. --- अना.

श्री... शाश्वी तिवारी ... द्वारा आज दिनांक.. 27-9-14 को प्रस्तुत किया गया
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मानुनीय तहसीलदार हनुमना, के प्रकरण क्र.
17 /अ-3/13-14 आदेश दि. 16.7.14 के
विरुद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.
भू-रा.सं. सन् 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3245
29-9-14

2. यह कि पूर्व में हुये नक्शा तरमीम को अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधन का आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर निरस्त कर दिया जो कि विधि प्रक्रिया के विपरीत है, एवं कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

3. यह कि जबकि आपसी बंटवारा पुल्ली के आधार पर पूर्व में नक्शा तरमीम किया गया था, उक्त बंटवारा पुल्ली में भूमि के संबंध में

क्रमशः.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.3494–III / 14 जिला–रीवा

शंकरदत्त तिवारी / ओंकारेश्वर प्रसाद

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता उपस्थित नहीं है। 3. अनावेदक की ओर से उनके अभिभाषक श्री रामनरेश मिश्रा एड0 उपस्थित। 4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	